

डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.)



क्रमांक / डीसीडीसी / 2019 / 2650

20 अगस्त 2019

:: अधिसूचना ::

1. माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर में लंबित याचिका क्रमांक 12458/2017 में माननीय न्यायालय के अनुसार यह विश्वविद्यालय अस्थायी संबद्धता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में केन्द्रीयकृत काउंसिलिंग के अनुसार ही प्रवेश प्रक्रिया संपन्न करा सकता है जो कि उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन के द्वारा ही आयोजित की जा सकती है। इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी के आदेशानुसार विश्वविद्यालय की संशोधित अधिसूचना क्रमांक डीसीडीसी/2019/2578 दिनांक 26 अप्रैल 2019 के तहत विश्वविद्यालय से अस्थायी संबद्ध अशासकीय महाविद्यालयों में सत्र 2019-20 के लिए बी.एड. पाठ्यक्रम में किये गये विद्यार्थियों के प्रवेश निरस्त किये जाते हैं। संबंधित अस्थायी संबद्ध अशासकीय महाविद्यालयों को निर्देशित किया जाता है कि जिन विद्यार्थियों के प्रवेश निरस्त किये गये हैं, उन विद्यार्थियों की नियमानुसार शुल्क वापिस की जावे।

2. विश्वविद्यालय द्वारा आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल को विश्वविद्यालय के पत्र क्रमांक डीसीडीसी/2019/2649 दिनांक 20 अगस्त 2019 के माध्यम से अस्थायी संबद्ध अशासकीय महाविद्यालयों में सत्र 2019-20 से बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु अनुरोध किया गया है। अतः संबंधित समस्त अस्थायी संबद्ध अशासकीय महाविद्यालयों को सूचित किया जाता है कि वे उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल को उक्त प्रवेश प्रक्रिया आयोजित किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही के लिए आवेदन करें।

आदेशानुसार,

प्रभारी कुलसचिव

प्रतिलिपि:-

1. संचालक, अकादमिक गतिविधियाँ, डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर
2. संचालक, महाविद्यालयीन विकास परिषद, डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर
3. अधिष्ठाता, छात्र गतिविधियाँ, डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर
4. परीक्षा नियंत्रक, डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर
5. प्राचार्य, समस्त अस्थायी संबद्ध अशासकीय महाविद्यालय, डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एम.पी. ऑनलाइन, भोपाल
7. विधि अधिकारी, डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर
8. प्रोफेसर इंचार्ज, आई.टी.सेल-को विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
9. कुलपति के सचिव-को कुलपति महोदय के सूचनार्थ
10. कुलसचिव के निजी सहायक
11. कार्यालयीन नस्ती

प्रभारी कुलसचिव